राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टफिकेशन आबकारी संख्या 10/2016/बीकानेर
2. रेक्टफिकेशन आबकारी संख्या 11/2016/बीकानेर

मैसर्स एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लि0, अजीतगढ़, सीकर। .....अपीलार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान नोखा।
2. जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर।
3. आबकारी निरीक्षक, नोखा।
4. सहायक आबकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, एग्रीबायोटेक इण्ड0 लि0, अजीतगढ़ सीकर। .....प्रत्यर्थीगण

3. रेक्टफिकेशन आबकारी संख्या 12/2016/बाडमेर

मैसर्स ग्लोबल स्प्रिटस लि0, बहरोड अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर।
2. जिला आबकारी अधिकारी, बाडमेर।
3. आबकारी निरीक्षक, बालोतरा।
4. सहायक आबकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, ग्लोबल स्प्रिटस लि0, श्यामपुर बहरोड अलवर। .....प्रत्यर्थीगण

4. रेक्टफिकेशन आबकारी संख्या 13/2016/झुन्झुनू

मैसर्स एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लि0, अजीतगढ़, सीकर। .....अपीलार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर।
2. जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू।
3. आबकारी निरीक्षक, झुन्झुनू ग्रामीण।
4. सहायक आबकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, एग्रीबायोटेक इण्ड0 लि0, अजीतगढ़ सीकर। .....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री बी.एल.गुलेरिया, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 07.04.2016 में संशोधन हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.04.2016 को खण्डपीठ के समक्ष वकील प्रार्थी एवं उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर आबकारी अपील संख्या 135/16, 246/16, 630/16 एवं 631/16 जो दिनांक 06.04.2016 को खण्डपीठ के समक्ष ग्राहयता हेतु नियत थी, प्रकरणों में ग्राह्यता (Admission) के बिन्दु पर उभयपक्षों द्वारा बहस की गई। माननीय खण्डपीठ ने पाया कि प्रार्थीगण को अपील दायर करने की अधिकारिता विबंधन के सिद्धान्त से समाप्त हो गई है। प्रार्थीगण द्वारा स्वेच्छा से विभागीय स्तर पर पंजीबद्ध अभियोग को प्रशमित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं प्रकरणों में अपराध प्रशमित हो जाने से प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को ग्राह्यता के बिन्दु पर खारिज किया गया। उक्त आदेशों से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इन प्रकरणों में विवादित बिन्दुओं के समान प्रकृति के प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन जारी किये गये है तथा उन प्रकरणों के अनुरूप ही इन अपीलों में निर्णय दिया जाना न्यायोचित होगा अतः उन्होंने मूल अपीलों को रिकॉल करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया एवं मूल अपीलों का निस्तारण गुणावगुणों पर किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने शपथ पत्र एवं अपनी डायरी की प्रति प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 06.04.2016 के पश्चात उनमें आगामी तिथि 16.06.2016 अंकित है। उन्होंने बतलाया कि दिनांक 06.04.2016 को उनके द्वारा एडमिशन पर बहस नहीं की गई एवं आगामी तिथि 16.06.2016 ली गई थी।

5. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि चूंकि अपीलें ग्रहण योग्य नहीं है जिस आधार पर माननीय खण्डपीठ ने दिनांक 07.04.2016 को अपीलों को विबंधन के सिद्धान्त के आधार पर खारिज किया है। अतः उन्होंने कर बोर्ड के पूर्व आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा किये गये निवेदन के इन प्रकरणों में विवादित बिन्दुओं के समान प्रकृति के प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन जारी किये गये है तथा उन प्रकरणों के अनुरूप ही इन अपीलों में निर्णय दिया जाना न्यायोचित होगा, अतः उन्होंने मूल अपीलों को रिकॉल करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया एवं मूल अपीलों का निस्तारण गुणावगुणों पर किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों, रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्रों में लिखित आधारो एवं उनके द्वारा प्रस्तुत डायरी की प्रति का अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन उनके पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों परिशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकारते हुए इन प्रकरणों से संबंधित चारों मूल अपीलें क्रमशः 135/16, 246/16, 630/16 एवं 631/16 को रिकॉल किया जाता है एवं मूल अपीलों की ग्राह्यता पर पुनः सुनवाई करते हुए प्रकरणों को खण्डपीठ के समक्ष नियत किया जाता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर मूल अपीलों को दिनांक 14.07.2017 को खण्डपीठ के समक्ष नियत करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

29.6.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष